

केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, मरु क्षेत्रीय परिसर,  
श्रीगंगानगर रोड, बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर 334006

प्रमांक:-3(18)BK/NWPSI(MSF)2013/Vol.I/

पंजीकृत

दिनांक:- 20.08.2014

विषय:- किराये के वाहन उपलब्ध कराने के लिए निविदा।  
महोदय

परियोजना एन.डब्ल्यू.पी.एस.आई—मगरा फील्ड यूनिट एवं मारवाड़ी परियोजना के अन्तर्गत फील्ड(पूर्ण राजस्थान) में जाने के लिए चार्जबल न्यूनतम 300 किलोमीटर प्रति दिन किराये के लिए वाहन अनुबंध पर लेने के लिए पंजीकृत फर्म से निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्र. सं.	वाहन	दर प्रति किलोमीटर		रात्रि विश्राम चार्ज
		ए.सी वाहन	नॉन ए.सी.वाहन	
1.	बोलेरो			
2.	टवेरा			
3.	इनोवा			
4.	इंडिगो			

नोट - उपरोक्त दर में सभी प्रकार के कर सम्मिलित हैं। देय टोल टेक्स, पार्किंग चार्जज इत्यादि वास्तविक भुगतान रसीद प्रस्तुत करने पर पुनर्भरण किया जायेगा।

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने निविदा में दर्शायी गई सभी नियम व शर्तें भली-भांति पढ़ ली हैं तथा मुझे पूर्ण रूप से स्वीकार हैं। साथ ही मैं यह भी वचन देता हूँ कि मुझे उपरोक्त निविदा प्रपत्र में दर्शाये गये कार्यों का पूर्ण ज्ञान है। यह मेरे संज्ञान में भली-भांति से है कि आपके द्वारा उपरोक्त कार्य हेतु प्राप्त निविदाओं में न्यूनतम अथवा किसी अन्य निविदाओं को स्वीकार करने हेतु बाध्य नहीं हैं एवं सक्षम अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय मुझे मान्य है।

हस्ताक्षर निविदादाता  
निविदादाता का नाम  
पूरा पता  
माबाईल नं.

नियम एवं शर्तें:-

- निविदा इसी प्रपत्र में ही स्वीकार की जायेगी। सशर्त तथा देरी से प्राप्त निविदायें स्वीकार नहीं की जायेगी। पैन कार्ड, फर्म का पंजीयन एवं सर्विस टेक्स पंजीयन की छाया प्रति के बिना निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
- न्यूनतम दर दाता को सफल निविदादाता समझा जायेगा। परन्तु दरें अधिक होने पर न्यूनतम दरदाता से नेगोशियेशन कर दरें कम कराई जा सकती है। वाहन का पंजीयन, कम्प्राइंसेव बीमा, फिटनेस व अन्य आवश्यक प्रमाण-पत्र टैक्सी परमिट से कवर्ड आदि की छाया प्रति कार्यादेश जारी होने से पूर्व प्रस्तुत करना होगा।
- वाहन का माइलोमीटर सही रहना आवश्यक है। खराब होने की स्थिति में संस्थान अनुमानित किलोमीटर निर्धारण का अधिकार रखता है। खराब माइलोमीटर को तुरन्त सही करवाना आवश्यक है।
- वाहन का मॉडल वर्ष 2013 से पुराना नहीं होना चाहिये तथा व्यवसायिक नम्बर होने चाहिये। वाहन अच्छी कंडीशन का साफ-सुधरा होना चाहिये अन्यथा लौटा दिया जाएगा।
- वाहन चालक के पास मान्य लाईसेंस होना आवश्यक है तथा वह व्यवहार कुशल एवं साक्षर होना चाहिये। वाहन चालक के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति वाहन के साथ स्वीकार्य नहीं होगा।
- वाहन बीच रास्ते में खराब हो जाने या दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर वैकल्पिक वाहन ठेकेदार को उपलब्ध करवाना होगा तथा क्षति की जिम्मेदारी संस्थान की नहीं होगी।
- संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार की ईंधन, अग्निशमन देय नहीं होगी।
- वाहन का उपयोग अधिकतर बीकानेर के आस-पास के गांवों में परियोजना कार्यों के लिए वैज्ञानिकों एवं अन्य स्टाफ द्वारा किया जायेगा। जो प्रायः प्रातः रवाना होकर शाम तक वापस बीकानेर आ जाते हैं। वाहन से माह में 05-10 दौरे किये जा सकते हैं। वाहन खेतों एवं धोरों में भी चलना होगा। वाहन गांवों के फील्ड में चलाने को योग्य होना चाहिये। इसके अतिरिक्त आवश्यकता होने पर विश्राम चार्ज दिया जायेगा।

4

9. बिल का भुगतान कार्य के संतोषजनक पूर्ण होने पर मासिक आधार पर किया जायेगा। बिल तीन प्रतियों में प्रि-रिसिपटेड प्रस्तुत करने पर 30 दिन में भुगतान किया जायेगा। भुगतान डी.डी / इलेक्ट्रोनिक्स पद्धति द्वारा आवश्यक टैक्स आदि की कटौती उपरान्त किया जायेगा।
10. निविदा में दरें दर्शाते हुये बन्द लिफाफे में संस्थान के प्रभागाध्यक्ष महोदय के नाम क्य. अनुभाग में दिनांक 08.09.2014 दोपहर 1.00 बजे तक प्रस्तुत करना है। उक्त तिथि को नियत समय बाद, देरी से प्राप्त, सशर्त व तार द्वारा प्राप्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। तथा निविदा उसी दिन दोपहर बाद 3.00 बजे निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी।
11. अनुबंधकर्ताओं को निविदा के साथ रु. 20,000/- अक्षरे बीस हजार मात्र बतौर धरोहर राशि के रूप में जमा करानी होगी। बिना अग्रिम राशि के कोई निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। सफल निविदादाता के अतिरिक्त अन्य की अग्रिम राशि उसी दिन लौटा दी जायेगी।
12. सफल अनुबंधकर्ता की राशि रु. 20,000/- अक्षरे बीस हजार मात्र बतौर धरोहर राशि के रूप में जमा कर ली जायेगी। धरोहर राशि करवाई जाने वाली धरोहर राशि जब्त करते हुये कार्य आदेश को निरस्त किया जायेगा।
13. यह अनुबंध कार्यादेश जारी होने की तिथि से एक वर्ष तक के लिए मान्य होगा। संस्थान के किसी कार्य में ठेकेदार की ओर से किसी भी तरह का व्यवधान/सम्पत्ति का नुकसान होने पर अनुबंध को निश्चित समय अवधि से पूर्व समाप्त किया जा सकता है। ऐसी स्थिति प्रभागाध्यक्ष महोदय का निर्णय ही अंतिम होगा तथा ठेकेदार को मान्य होगा।
14. यात्रा/कार्यों के दौरान संस्थान, अधिकारियों/कर्मचारियों का सामान जो वाहन में ले जाया जा रहा है/रखा गया है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी वाहन चालक/ठेकेदार की होगी। सामान के खो जाने की स्थिति में क्षतिपूर्ति ठेकेदार को करनी होगी।
15. कार्यालय में ए.सी. अथवा नॉन ए.सी वाहन की मांग होने पर परियोजना अन्वेशक के द्वारा टेलीफोन पर या लिखित में आपको मांग के सहित उपस्थिति सुनिश्चित करना होगा।
16. परियोजना अन्वेशक द्वारा मोबाइल/दूरभाष पर सूचना देने के बाद यदि ठेकेदार समय पर मांग के अनुरूप वाहन सहित उपस्थित नहीं में से यह राशि वसूल कर ली जायेगी।
17. पेटी ठेका मान्य/स्वीकार नहीं होगा।
18. आदेश में वर्णित सभी नियम व शर्तों को स्वीकार करने का इकरारनामा रु.100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉप पेपर पर पंजीकृत नोटरी पब्लिक से अपने खर्चे पर प्रमाणित करवा कर प्रस्तुत करना होगा अन्यथा जमा राशि जब्त कर निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
19. किसी भी प्रकार के विवाद में प्रभागाध्यक्ष/निवेशक महोदय का निर्णय ही अंतिम होगा जिसे मानने के लिए ठेकेदार बाध्य होगा।
20. संस्थान को किसी भी निविदा को बिना कारण बताये स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।
21. निविदा बन्द लिफाफे में होनी चाहिए तथा उसके ऊपर किराये पर वाहन उपलब्ध कराने बाबत वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए अनुबंध हेतु निविदा कार्य का नाम, पत्रावली क्रमांक 3(18)BK/NWPSI(MSF)2013/Vol.I/ एवं अंतिम तिथि 20.08.2014 स्पष्ट अक्षरों में अकित

  
(मोहन सिंह आयूब)

प्रभारी क्य एवं भण्डार अनुभाग  
मैंने उपरोक्त नियम एवं शर्तों को पढ़कर अच्छी तरह समक्ष लिया है तथा सभी नियम व शर्त मुझे मान्य/स्वीकार हैं।

हस्ताक्षर निविदादाता  
निविदादाता का नाम  
पूरा पता  
मोबाइल नं.